न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा ,पीठासीन अधिकारी
श्री भागीरथ राम आर.ए.एस

मुकदमा नंबर 17 / 2017

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तहसीलदार,पचपदरा		1. देवाराम पुत्र गुणेशाराम, विशनाराम पुत्र चिमनाराम, दिराराम पुत्र केशाराम,चूकीदेवी पत्नि केशाराम, हेमराज पुत्र सुजाराम, भीयाराम पुत्र फगलुराम, भीयाराम, बीजाराम, सुरताराम, छोगाराम, गोपाराम पुत्र फगलुराम वगै०

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश दिनांकः– 31.10.2017

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,86 भू अभिलेख नियम 1970 इस आश्य का प्रस्तुत किया । हल्का पटवारी द्वारा फसल खरीफ सम्वत 2073 दोराने गश्त गिरदावरी ग्राम **कुडी** मे चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ते जो मौके पर पाये गये, परन्तु जिनका राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी व नक्शे मे अंकन नही है। उनका अंकन किया जावे।

राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6 / 2003 / पार्ट / 04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि / खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे, बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते मे रास्ते/ सडक के रूप मे अभिलिखित नही है,मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक इस रास्ते को आवागमन के उपयोग / उपभोग मे ले रहे है को राजस्व रेकर्ड मे दर्ज/ तरमीम के आदेश दे रखे है।

अतः मौजा **कुडी** के ख0न0 कमशः 48, 51, 323 / 46, 22, 313 / 9, 24, 25 / 311, 2, बीघा मे संलग्न परिशिष्ट 'अ' मे रकबा कमशः 0.14, 0.17, 1.00, 0.10, 0.15, 0.07, 0.17, 2.14 चल रहे रास्ते/ सडक का रास्ता को संबंधित खातेदारो की खातेदारी मे रखते हुए परिशिष्ट 'ब' मे दर्शित विवरण अनुसार रास्ता दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सहायक कलेक्टर,
(S.D.O.) बालोतरा

उक्त प्रकरण राजस्व विविध दर्ज कर संबंधित खातेदार/खातेदारो को नोटिस जारी कर तलब किया। विप्रार्थीगणों द्वारा अपना जबाब पेश किया गया।

हल्का पटवारी ने भी मौके पर रास्ता चालू हालात मे होने की ताईद की है तथा बताया की संलग्न नक्शें के बिन्दु 'ए' से 'बी' पर मौके पर रास्ता चल रहा है। विप्रार्थीगणों द्वारा मौके पर रास्ता नहीं चलना व कुछ विप्रार्थीगणों द्वारा पडौसी खातेदारों की भूमि में से बराबर रास्ता लेने का निवेदन किया गया। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट बताया कि रास्ता पूर्व में परिशिष्ट –अ अनुसार ही मौके पर चल रहा है। पटवारी हल्का मौजा **कुडी** ने संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित नक्शे मे 'ए' से 'बी' तक ख0 न0 क्रमश 48, 51, 323/46, 22, 313/9, 24, 25/311, 2, रकबा क्रमश 0.14, 0.17, 1.00, 0.10, 0.15, 0.07, 0.17, 2.14, बीघा रास्ता वर्तमान मे चालू बताया है तथा इसे राजस्व रेकार्ड में सम्बन्धित खातेदारों की खातेदारी में रखते हुए किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने एवं नक्शे मे तरमीन करने की प्रार्थना की है। विप्रार्थीगणों की खातेदारी की भूमि में वर्तमान में रास्ता चल रहा है। अतः भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का आधार पत्रावली पर नहीं है। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया।

बाद गौर तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करना न्यायोचित होने से तथा मौके पर चल रहे रास्ते जिसका अंकन/ तरमीम नक्शा लट्टा ट्रेस में तरमीम का आदेश देना न्यायोचित है। साथ ही जमाबन्दी में भी किस्म गै मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

अतः प्रार्थना पत्र तहसीलदार पचपदरा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा **कुडी** में अवस्थित ख0न0 48, 51, 323/46, 22, 313/9, 24, 25/311, 2, रकबा क्रमश 0.14, 0.17, 1.00, 0.10, 0.15, 0.07, 0.17, 2.14, बीघा के बिन्दु 'ए' से 'बी' होते हुए नक्शे में वर्णित मार्क अनुसार तरमीम का आदेश दिया जाता है, उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत खातेदार के खाते मे ही दर्ज रहेगा। संलग्न नक्शा बिन्दु 'ए' से 'बी' तक का रास्ता निर्णय का भाग रहेगा ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
भू–अभिलेख अधिकारी,
बालोतरा